

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद अधिनियम), झंझारपुर।

GO/ST NO-504/2016

उत्पाद झंझारपुर थाना सनहा सं० 421/28

CIS NO-.....

न्यायालय का आदेश

कार्यालय
का तिथि
युक्त कार्य

क्र०
सं०

पीठासीन
पदाधिकारी
आदेश तिथि

19-04-26

अभियुक्त का नाम:- गंगीश कुमार

उम्र:- 21 वर्ष

पिता का नाम:- मालेश्वर चौधरी

पता:- घाट-रामनगर, कुकपरास भाग-कुकपरास, मधुबनी

गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान- 18/04/26 18:20 नेहरू

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित ऊपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एकद्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक- 18/04/26 को अलकोहल का उपभोग किया था और वह नेहरू (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अलकोहल/शराब का उपभोग किया था। उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका ब्यान दर्ज किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सु-आधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा-37 के अधीन 2000/- रुपये की भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर तीस दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

लेखा०

विशेष न्याय० (उत्पाद अधिनियम),

झंझारपुर

19-04-26

19-04-26

उपर्युक्त आदेश के आलोक में अभियुक्त कि ओर से अर्थदण्ड की राशि नजारात के चलान सं०:- 4858 दिनांक:- 19-04-26 से जमा की गई उक्त दोषी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है तथा वाद निश्चारीत किया जाता है। कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखा०

विशेष न्याय० (उत्पाद अधिनियम),

झंझारपुर

गंगीश कुमार